

फर्द अहकाम

न्यायालय उप जिला कलेक्टर वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

उगन्ती वगै०

बनाम

नाहरसिंह वगै०

किस्म दावा

मुकदमा नं०...15...../2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनेशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.02.2026	<p>यह दावा अन्तर्गत धारा 188 रा.टी. एक्ट वादीया उगन्ती बेबा श्रीनारायण जाति मीना व अन्य निवासी खण्डीप तहसील वजीरपुर की ओर से श्री मो० इस्लाम खान, एडवोकेट ने न्यायालय के समक्ष पेश किया। वादी के वकील को सुना गया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। तलबी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 02.04.2026 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>Sunt</i> उप जिला कलेक्टर वजीरपुर</p>	
21/4/26	<p>पत्रावली पेश हुई। एडील वडी उपस्थित। उलियादी स०। उपस्थित थी। उलियादी स० 2 का नोटिस न्यायालय में प्राप्त। उलियादी स० 3 का नोटिस कोर्ट में प्राप्त। पत्रावली वादी के वकील को सुनाया गया। तलबी उलियादी स० 2, 3 की जाकर दिनांक 21/4/26 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>Sunt</i></p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">नाहरसिंह</p>
4.5.26	<p>पत्रावली आज वकील वादीया के अधीन पर 21/4/26 के पत्रावली पर आप पेश हुई। ज. पत्र में यह भी निवेदन किया है कि इनका उलियादीगण के उपनिर्णय हो चुका है और एडवोकेट उलियादी को और उसे नहीं समझना चाहते है इसे लान पर Not Press में धारित करने का निवेदन किया है पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली को लान पर Not Press में धारित की पत्रावली में पत्रावली में उलियादी उलियादी उलियादी के कानून एवं एडवोकेट की सहायता से स्वर है।</p> <p style="text-align: center;"><i>Sunt</i> उप जिला कलेक्टर वजीरपुर</p>	<p style="text-align: right;">NOT PRESS में धारित कर दिया जाय।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> 4/5/26</p>

